सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं :. NCST/DEV-3153/JH/12/2024-ESDW-RU-IV दिनांक : 10.11.2025

सेवा मे,

जिलाधिकारी,
जिला – बोकारो
जिलाधिकारी कार्यालय,
बोकारो स्टील सिटी, झारखण्ड,
बोकारो, झारखंड 827001
ई-मेल : dc-bok@nic.in

विषय: बोकारो जिला अंतर्गत चास प्रखण्ड के बनसिमली गाँव को पंचायत में शामिल करने के संबंध में श्रीमती रीना किस्कू, बोकारो झारखंड का अभ्यावेदन

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 08.10.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गए अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्टकी गई कार्रवाई /की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

यो. प्र. यादव / Y. P. Yadav
उप सचिव / Deputy Secretary
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्रीमती रीना किस्कू,
ग्राम बनिमाली टोला श्यामपुर,
पोस्ट पी.एस.बालीडीह
जिला बोकारो-827010,
झारखण्ड -827010,
मोबाइल नंबर:9234266186

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. NCST/DEV-3153/JH/12/2024-ESDW

बोकारो जिला अंतर्गत चास प्रखण्ड के बनसिमली गाँव को पंचायत में शामिल करने के संबंध NELE(सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट XXI, 1860 के अधीन निव धत सामाजिक संस्था) कार्यालय ग्राम श्यामपुर, बन समली थाना बालीडीह जिला बोकारो , के दिनांक 14.06.2024 के अनुरोध पत्र, के संदर्भ में दिनांक 08.10.2025 को अपराह्न 04:30 बजे आयोग की माननीय सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में आयोजित हुई सिटिंग का कार्यवृत ।

सिटिंग का समय एवं तिथि : 08.10.2025 को अपराह्न 04:30
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I अनुसार।

बोकारो जिले के चास प्रखंड में स्थित बनसिमली गाँव को पंचायत में शामिल करने की माँग की जा रही है। इस गाँव के लोग बताते हैं कि उनका गाँव बालीडीह थाना के अंतर्गत आता है और यहाँ की जमीन को 1964 में चतुर्थ इस्पात कारखाना के निर्माण के लिए अधिग्रहित किया गया था। अधिग्रहण के समय कम मुआवजा मिलने और कुछ जमीनों का मुआवजा गैर-आदिवासियों द्वारा ले लिया गया था। गाँववाले अपनी खेती पर निर्भर हैं और उनका कहना है कि इस जमीन पर वे आज भी खेती करते हैं और इसे किसी और को अतिक्रमण नहीं करने दिया।

2. भू-अर्जन और मुआवजे के मुद्दे पर कई बार पत्राचार और निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन अभी तक इस मुद्दे का समाधान नहीं हुआ है। अपर्याप्त मुआवजे के कारण भूमिपति परिवारों ने अपनी भूमि का दखल सरकार या सेल, बोकारो को नहीं सौंपा और आज भी उस पर खेती करते हुए जीवन-यापन कर रहे हैं। इस बीच, लगभग 5000 एकड़ सेल की भूमि पर गैर-विस्थापितों द्वारा अवैध अतिक्रमण हो चुका है, जिसे हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। भूमि वापसी संबंधी निर्देश सरकार द्वारा 1979 एवं 2003 में जारी किए गए थे, परंतु इनका पालन नहीं हुआ। पंचायत में शामिल न होने के कारण गाँववालों को कई सरकारी सुविधाएँ जैसे जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, और आय प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, जिससे वे सरकारी नियुक्तियों में भी भाग नहीं ले पाते हैं। गाँववासियों का आरोप है कि चुनावों में भी उनका वोट बहिष्कार करने की स्थिति बनी थी, लेकिन प्रशासनिक आश्वासन के बावजूद गाँव को पंचायत में शामिल नहीं किया गया है और न ही कोई सुविधाएँ प्रदान की गई हैं।

3. आयोग ने दिनांक 10.09.2024 को जिलाधिकारी, बोकारो (झारखंड) को विषय से संबंधित तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु एक नोटिस निर्गत किया ।

4. आयोग द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 18.09.2025 को सुनवाई निर्धारित की गई थी, परंतु संबंधित अधिकारीगण के अनुपस्थित रहने के कारण सुनवाई संपन्न नहीं हो सकी। अतः प्रकरण में पुनः सुनवाई हेतु दिनांक 08.10.2025 निर्धारित की गई है।

5. तदनुसार जिलाधिकारी, बोकारो (झारखंड) को समन जारी किया गया तथा अभ्यावेदक को भी इसकी सूचना प्रदान की गई।

6. सुनवाई के दौरान उपायुक्त जिला बोकारो की ओर से जिला पंचायत राज पदाधिकारी उपस्थित हुए । आवेदक सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहे । सुनवाई के दौरान जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने बताया कि 1956 में बोकारो स्टील संयंत्र के निर्माण के लिए लगभग 49 गांवों की भूमि अधिग्रहित की गई थी, जिसमें से 20 गांव सरकारी पंचायत व्यवस्था से वंचित हैं। अधिग्रहण के बाद भी इन गांवों के मूल निवासी अपनी जमीनों पर बसे हुए हैं और पुनर्वास क्षेत्र में स्थानांतरित नहीं हुए हैं, जबकि उन जमीनों पर कई बाहरी लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। मुख्य सचिव, झारखंड की अध्यक्षता में दिनांक 27.07.2025 को राँची में आयोजित बैठक के निदेश तथा BSL प्रबंधन के साथ आयोजित त्रिस्तरीय बैठक के उपरांत, कार्यालय ज्ञापांक 268, दिनांक 13.08.2025 द्वारा बोकारो इस्पात संयंत्र के गृह-प्रखंड के अधिग्रहण से प्रभावित ग्रामों को पंचायत में शामिल करने हेतु पंचायत पुनर्गठन के लिए एक समिति गठित की गई। समिति ने पत्रांक 284, दिनांक 30.08.2025 के माध्यम से 20 प्रभावित ग्रामों—जिसमें क्रमांक 17 पर स्थित बनसिमली ग्राम भी सम्मिलित है—को पंचायत में जोड़ने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया। तत्पश्चात कार्यालय पत्रांक 659/पं०, दिनांक 18.09.2025 द्वारा पंचायत पुनर्गठन से संबंधित प्रतिवेदन पंचायत राज विभाग, झारखंड सरकार, रांची को भेजा गया है, जो वर्तमान में निदेशालय स्तर पर विचाराधीन है। उल्लेखनीय है कि पंचायत गठन/पुनर्गठन हेतु SAIL/BSL द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) अभी तक प्रदान नहीं किया गया है, अतः भूमि को राज्य सरकार को वापस लेने अथवा पुनर्वास/पंचायत गठन हेतु शासकीय स्तर पर निर्णय अपेक्षित है।

7. सुनवाई के पश्चात आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएँ की जाती हैं:

i) उपायुक्त, बोकारो तथा SAIL/BSL प्रबंधन आपस में समुचित समन्वय स्थापित करते हुए बनसिमली ग्राम से संबंधित पंचायत के गठन/पुनर्गठन से जुड़ी समस्या का यथाशीघ्र समाधान सुनिश्चित करें।

ii) इस संबंध में की गई अग्रिम कार्रवाई की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रेषित की जाए।

आशा लकड़ा
31/10/2025

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/DEV-3153/JH/12/2024-ESDW-RU-IV

Sitting to be held on **08.10.2025 at 04.30 P.M-** बोकारो जिला अंतर्गत चास प्रखण्ड के बनसिमली गाँव को पंचायत में शामिल करने के संबंध में **श्रीमती रीना किस्कू**, बोकारो झारखंड का अभ्यावेदन.

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3	Shri H.R. Meena Consultant		
4.	Shri Rahul Investigator		
5.	Ms. Riya Investigator		
6.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
7.			
8.			
II	**Officers from O/o District Magistrate, Bokaro**		
1.	Md. Shafik Alam DPRO, Bokaro	9304828015	Alam 08.10.25
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
III	**Petitioners**		
1.			
2.			